-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जिला अस्पताल बांदा में महिला की लॉकेट चोरी/टप्पेबाजी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से चोरी/टप्पेबाजी का शत प्रतिशत माल बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जिला अस्पताल बांदा में महिला की लॉकेट चोरी/टप्पेबाजी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 03.11.2025 को थाना तिन्दवारी के रहने वाले रविकरन द्वारा थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी गई कि जिला अस्पताल बांदा में पत्नी के इलाज के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने आप को रिश्तेदार बताकर पत्नी के गले का माला जिसमें एक लॉकेट व 02 छोटी-छोटी मूंगी थी चोरी/टप्पेबाजी करके चला गया है। सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर व सीसीटीवी फुटेज आदि के माध्यम से अभियुक्त की पहचान कर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के माँ शारदा पैलेस बबेरु रोड के से गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि अभियुक्त पर पूर्व में भी चोरी व मादक पदार्थों की बिक्री के कई मामले दर्ज है।

बरामदगी-

- 1 लाकेट (पीली धातु)
- 2 छोटे-छोटे दाने (पीली धातु)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बच्चा उर्फ भोले पुत्र गज्जा प्रसाद उर्फ गजराज निवासी बिजली खेड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग –

- मु0अं0सं0 839/25 धारा 304/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री रामकिशोर यादव चौकी प्रभारी जिला अस्पताल
2. कां0 शैलेन्द्र कुमार

आपराधिक इतिहास बच्चा उर्फ भोले उपरोक्त –

1. मु0अं0सं0 157/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बबेरु जनपद बांदा।
2. मु0अं0सं0 912/23 धारा 60 आब0अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. मु0अं0सं0 204/24 धारा 60 आब0अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
4. मु0अं0सं0 41/23 धारा 380/411 थाना जीआरपी बांदा अनुभाग झांसी।
5. मु0अं0सं0 12/24 धारा 380/411 थाना जीआरपी बांदा अनुभाग झांसी।